# कार्यालय जिला पंचायत, एटा

## अनुज्ञा–पत्र

पत्रांक 12 /नक्शा–जि0पं0/2026–27 दिनॉक 10/04/2026

**(राठी पब्लिक स्कूल)**
**श्री अंकुर राठी**
**पुत्र श्री आनन्द राठी व अन्य**
**निवासी–ग्रम बोहरान,**
**वि0ख0–जलेसर**
**जनपद– एटा**

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2026 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खसरा/गाटा संख्या 450/1 व 450/4 में स्थित **ग्राम–लखमीपुर जलेसर से सिकन्द्राराऊ रोड जनपद एटा** की भूमि पर वनाये **व्यवसायिक भवन(राठी पब्लिक स्कूल) श्री अंकुर राठी व अन्य निवासी–ग्रम बोहरान, वि0ख0–जलेसर, जनपद एटा** कें निर्माण कार्य को नियंत्रित एवं विनियमिति करने विषयक उपविधियां अन्तर्गत कार्यालय में विकास खण्ड–जलेसर में **गाटा सं0 450/1 व 450/4 का** कुल एरियां **2538.77 वर्गमीटर** है प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति **पूर्व में कार्यालय जिला पंचायत एटा से पत्रांक संख्या 1773 दिनॉक 23.01.2025 के** सम्यक विचारोपरान्त निम्म प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जा चुकी है तथा वर्तमान में वनाये जा रहे उपरी मंजिल का मानचित्र का कुल एरिया 1211.90 का स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त निम्म प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है

1–सिलिंग/भू–अर्जन/नजूल/ग्राम समाज सहित भू–स्वामित्व मामलों में यदि कोई विवाद अथवा अन्य वाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं होगी तथा स्वीकृति मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

2–अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है,तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शो की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है,किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।

3–मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा।

4–स्वीकृत मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा, जो कि मौके पर निरीक्षण करते समय अभियन्ता/अवर अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक जिला पंचायत द्वारा जांच किया जा सके।

5–कार्यस्थल पर होने वाले कार्यो का जिला पंचायत द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार कराया जायेगा। तथा प्रत्येक माह के तृतीय सप्ताह में जिला पंचायत के अधिकारी से समय निर्धारित कर कार्यो का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेगें।

6–निर्माण की स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा प्राप्त होने के छः माह के अन्दर निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा। यदि किसी कारण निर्माण कार्य उक्त निर्धारित अवधि में प्रारम्भ नहीं हुआ है तो प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत प्रार्थना पर अध्यक्ष पुनः विचार कर कार्य करने की अवधि बढा सकते है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में स्वीकृति से दो साल से अधिक नहीं बढाई जा सकती है।

7–मानचित्र स्वीकृति दिनांक से केवल तीन वर्ष तक वैध है। समस्त निर्माण विकास कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करना होगा। ग्रमीण क्षेत्रों में नये निर्माण तथा पुराने व्यवसायिक भवनों में परिवर्तन या परिवर्धन के कम से कम तीन माह पूर्व भूमि का मालिक कार्यालय जिला पंचायत को उक्त निर्माण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

8–स्थल की साईट से होकर जा रही 132 के.वी. की लाइन के लिए कैरिज छोड दिया जाना चाहिए। लो एवं मध्यम वोल्टेज विद्युत लाईन तथा सर्विस लाइन से निर्माण की न्यूनतम् उर्ध्वाचर/क्षैतिज कमशः 2.50 मी0 व 1.20 मी0 हाई

वोल्टेज लाइन 33000 किलोवाट तक विद्युत लाइन से निर्माण की न्यूनतम् दूरी अर्ध्यावर/क्षैतिज कमशः 3.70 मी0 एवं 2 मी0 होगी।

9–निर्माण करते समय सडक, सर्विस लेन या सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री नहीं रखी जायेगी और गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध करना होगा।

10–आवेदक को पर्यावरण तथा अन्य शासकीय विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा।

11–दरवाजे व खिडकिया इस तरह से लगाई जायेगी कि जो बाहर खुले तो उनके भाग किसी सरकारी भूमि यां सडक की ओर बढाव न रखे।

12–पार्को तथा खुले स्थान से मानको के अनुसार ऐसे पड पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा जिनको न्यूनतम जल की आवश्यकता है, जो ग्रीष्म ऋतु में हरे भरे रह सके तथा पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण/प्रयोजन अनुमन्य नहीं होगा।

13–वेयर हाउस का वर्षा का पानी, सीवर, एस.टी.पी. एवं नाली का पानी के निस्तारण मानक के अनुसार समीपवर्ती नाला/सीवर बनाकर प्रदूषण रहित करके करेगें।

14–भवन निर्माण करते समय भूकम्परोधी मानको का पालन करना होगा।

15–रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम अन्तर्गत भवन एवं पक्की सडको के द्वारा भू–खण्ड के प्रत्येक 300 वर्गमीटर के भू–आच्छादन पर एक रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

16–कार्यस्थल पर कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी और प्रत्येक कर्मचारी कार्यस्थल पर सुरक्षाकिट के साथ ही कार्य करेगा।

17–कोई भी कम्पनी, व्यक्ति, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

18–आवदेक मे0 लोजिको प्रोजेक्ट एल0एल0पी0 द्वारा श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन संख्या–डी28007532 दिनांक 01.02.2022 प्रस्तुत किया गया है। भवन निर्माण के लेबर सेस को जमा करने के लिए आवदेक स्वयं उत्तरदायी होगा।

19–अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया या है, प्रस्तावित भवन उपयोग अनुमन्य भू–उपयोग से भिन्न है, प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भवनाएं आहत होती हों तथा प्रस्तावित निर्माण लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत अथवा आस पास रहने वालों के स्वास्थय पर दुष्प्रभाव डालता हो, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है तथा निर्माण किया गया कार्य बिना अनुमति के माना जायेगा तथा आवेदक की कीमत पर तुडवाया जा सकता है।

20–उक्त संदर्भित निर्माण स्थल पर नियमानुसार वृक्ष/पौधारोपण लगाने जाने अनिवार्य है।

21–स्वीकृत मानचित्र का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित खसरा/गाटा का एरियां का राजस्व विभाग से संपर्क कर निर्माण प्रारम्भ करने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

22–जिला पंचायत ग्रमीण क्षेत्रों में नोटीफाइड एरियां, टाउन एरियां तथा नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, लीडा आदि क्षेत्रों को छोडकर ही भवन निर्माण की स्वीकृति दे सकती है। अतः यदि उक्त भवन जिला पंचायत के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में आता है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। इस अनुज्ञा पत्र की कम संख्या 01 से 22 तक अंकित शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उपरोक्तानुसार स्वीकृति के अनुपालन में मानचित्र निर्गत किया जाता है।

अभियंन्ता
जिला पंचायत, एटा

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत ,एटा